

राशन पात्रता पर्ची हेतु आवेदन
(आवेदन मय दस्तावेज रिकार्ड ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय कार्यालय में संधारण किया जाये)

1. मुखिया का नाम :- समग्र परिवार आईडी
2. पिता/पति का नाम :-
3. उम्र :-
4. व्यवसाय :-
5. मोबाईल नंबर :-
6. आधार नंबर :-
7. पता :-
8. परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण -

	नाम	उम्र	मुखिया से संबंध	आधार नंबर	सदस्य आईडी
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					
f)					
g)					

9. पात्रता श्रेणी का विवरण :-

10. दस्तावेज संलग्न करे :-

- 1) समग्र परिवार आईडी ☐
- 2) पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज ☐
- 3) परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड ☐

हस्ताक्षर आवेदक

- घोषणा - पत्र -

मैं पिता/पति
यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अथवा मेरे परिवार में मैं स्वयं या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय शासकीय अर्द्धशासकीय/ स्वायत्त उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएँ शामिल हैं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी नहीं है तथा उपरोक्त पात्रता श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखता/रखती हूँ और मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त वर्णित संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैं एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पूर्व से कोई पात्रता पर्ची जारी नहीं है। यदि आवेदन में दिए गए कोई भी तथ्य/विवरण असत्य/मिथ्या पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

असंगठित / पवासी श्रमिकों को राशन कार्ड/पानता पर्ची प्रदाय करने हेतु सर्व प्रपत्र

- 01- ग्राम पंचायत का नाम / वार्ड का नाम-----
- 02- ग्राम का नाम-----
- 03- हितग्राही का नाम-----
- 04- पिता का नाम-----
- 05- समग्र आईडी-----
- 06- आधार नम्बर-----
- 07- क्या हितग्राही के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 27 प्रकार की श्रेणी का दस्तावेज है या नहीं-----
- 08- रिमार्क-----
-
-
-

हस्ताक्षर
पटवारी

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
आंगनवाडी